ए.बी.ए. संख्या - 225 सन 2021

सहित

ए.बी.ए. संख्या - 240 सन 2021

<u>माननीय आर. सी. खुलबे, न्यायमूर्ति</u>

श्री आदित्य सिंह, आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता।

श्री दीपक बिष्ट, संक्षिप्त धारक राज्य के लिए।

आवेदकों ने धारा 438 सी.आर.पी.सी. के तहत वर्तमान अग्रिम जमानत याचिका दायर की है, निम्नलिखित समान राहत के लिए:

> *"यह निर्देश देने के लिए कि आवेदक को आईपीसी की धारा 304बी, पी.एस. क्लेमेंटाउन, जिला देहरादून के तहत दिनांक 22.08.2019 की एफआईआर संख्या 83 के संबंध में यदि जांच अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, (आपराधिक मामला संख्या 803 सन 2021 में विद्वान सीजेएम, देहरादून द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.01.2021 आईपीसी की धारा 304 बी के तहत संज्ञान लिया गया) उसे किसी भी शर्त जो यह माननीय न्यायालय आवेदक पर निर्धारित कर सकता है, पर जमानत पर रिहा किया जाएगा।''*

आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि, प्रारंभ में उनके विरुद्ध पी.एस. क्लेमेंटाउन, जिला देहरादून में धारा 326, 498-ए, 323, 504, 506 आईपीसी और डी.पी. अधिनियम की धारा 3/4 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। तत्पश्चात, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, तदनुसार, जमानत याचिका दायर की गई, जिसमें इस न्यायालय के साथ-साथ समन्वय खंडपीठ ने क्रमशः दिनांक 06.12.2019 और 15.01.2021 के आदेश के माध्यम से उन्हें जमानत दे दी। उन्होंने आगे कहा कि जमानत देने के बाद आवेदकों के खिलाफ आईपीसी की धारा 304बी के तहत भी चार्जशीट दाखिल की गई थी; वह प्रस्तुत करता है कि चूंकि अभियुक्तों को पूर्वोक्त अपराधों में पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है; तदनुसार, वे आईपीसी की धारा 304बी के तहत भी अग्रिम जमानत के हकदार हैं। आवेदकों के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया है कि, यदि चार्जशीट में कोई अपराध जोड़ा जाता है, तो उस परिस्थिति में, अभियुक्त अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे और यदि अतिरिक्त अपराध में भी जमानत देने के लिए आवेदन करेंगे, संबंधित अदालत जमानत दे देगी ; अर्थात सुशीला अग्रवाल और अन्य बनाम राज्य (एनसीटी ऑफ दिल्ली) और अन्य जिसे, (2020)5 एससीसी 1 में रिपोर्ट किया गया, में संवैधानिक पीठ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार अतिरिक्त अपराध में भी मूल जमानत जारी रहेगी ।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के विद्वान अधिवक्ता को सुना। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय को भी देखा।

जब उपरोक्त मामल (सुप्रा) सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए मामला आया, तो पैरा संख्या 7 में निम्नलिखित दो प्रश्न तैयार किए गए थे:

> ''(1) क्या धारा 438 सी.आर.पी.सी के तहत किसी व्यक्ति को दी गई सुरक्षा एक निश्चित अवधि तक सीमित होनी चाहिए ताकि वह व्यक्ति ट्रायल कोर्ट के सामने आत्मसमर्पण करने और नियमित जमानत लेने में सक्षम हो सके।

(2) क्या अग्रिम जमानत का जीवन उस समय और चरण में समाप्त हो जाना चाहिए जब अभियुक्त को अदालत द्वारा बुलाया जाता है।"

निर्णय (उपरोक्त) के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उपरोक्त पैराग्राफ में तैयार किए गए प्रश्न धारा 438 सी.आर.पी.सी. के तहत अग्रिम जमानत से संबंधित हैं, हालांकि, पैरा संख्या 7.1 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 437 और 439 सी.आर.पी.सी. पर भी गौर किया, लेकिन पैरा संख्या 77.1 में, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि, 'पहले प्रश्न के उत्तर में की गई धारा 438 के तहत शक्ति की चौड़ाई और आयाम के बारे में अवलोकन यहाँ भी समान रूप से प्रासंगिक हैं।

यह स्पष्ट है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 438 सी.आर.पी.सी. के तहत परिकल्पित अग्रिम जमानत के संबंध में पूछे गए सवालों का जवाब दिया, और धारा 437 और 439 सी.आर.पी.सी. के तहत नहीं।

हालाँकि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **प्रदीप राम बनाम झारखंड राज्य और अन्य, (2019) 17 एससीसी 326** के मामले में दिए गए फैसले पर भी चर्चा की लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने प्रदीप राम (सुप्रा) के फैसले को खारिज नहीं किया।

अब, यह एक स्थापित कानून है, कि यदि अग्रिम जमानत दी जाती है, तो यह परीक्षण के समापन तक जारी रहेगी; यदि कुछ अपराध जोड़े जाते हैं, तो अभियुक्त को अतिरिक्त अपराध में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने और एक आवेदन दायर करने का अधिकार होगा, संबंधित न्यायालय अतिरिक्त अपराध में भी अभियुक्त को जमानत देगा, और नए जमानत बांड दाखिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है और अग्रिम जमानत जारी रहेगी।

जबकि मौजूदा मामले में आरोपी को ऐसी कोई अग्रिम जमानत नहीं दी गई थी। आरोपियों को केवल धारा 326, 498-ए, 323, 504, 506 आईपीसी और धारा 3/4 डी.पी. अधिनियम के तहत नियमित जमानत पर रिहा किया गया था लेकिन आरोप पत्र बाद में आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 बी के तहत प्रस्तुत किया गया है; तदनुसार, न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश नहीं दे सकता है कि अभियुक्तों को उसी ज़मानत पर ज़मानत दी जाए जो पहले दी गई थी।

इन परिस्थितियों में, वर्तमान अग्रिम जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया जाता है।

लंबित आवेदन, यदि कोई हो, निस्तारित किए जाते हैं।

(आर. सी. खुल्बे, जे.)

06. 12. 2021

बी एस